RNI No. 43038/1985 Postal Reg. No.: DL(C)-14/1434/2024-26, Posting Date: 28 & 29 of the Same Month

मूल्य: 10 रुपये

नेजाजी की जुबानी

''राष्ट्रवाद मानवता के उच्चतम आदर्शों सत्यम, शिवम, सुन्दरम द्वारा प्रेरित होता है।''

जन गर्जन

वर्ष 39 अंक 9 हिन्दी मासिक नई दिल्ली सितम्बर –2024 विक्रमी संवत्–2078 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक – शुल्क: 100 रुपये

लोकतंत्र की चुनौतियों से निपटना अनिवार्य है

जी. देवराजन
महासचिव
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक

एक लोकतांत्रिक एवं पंथनिरपेक्ष समाज के रूप में हम सब अपने गति में सबसे बड़ा अवरोध का काल झेल रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे लोकतंत्र को अनेक बार कठिन दौर से गुजरना पड़ा है फिर भी अपनी परिपक्वता की ओर दशक दर दशक उसे बढ़ते रहने का मौका मिलता रहा है। एक अति विषम परिस्थिति अकस्मात उपस्थित हुई जब कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने स्वतंत्र अस्तित्व को मिटाते हुए एक साथ दिखाई दी। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास की पहली घटना है जब पदासीन भारत के प्रमुख न्यायधीश ने सत्ताशीन प्रधानमंत्री को अपने घर आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया तथा इसके चित्र व वीडियो सार्वजनिक किए गए। देश के प्रमुख न्यायधीश भगवा कुर्ता में थे जबकि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के प्रचलित टोपी व पोशाक में देखे गए।

हमारा तंत्र इस तरह के कार्यो की अनुमति नहीं देता है। भारत के प्रमुख न्यायधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति के समय पद की शपथ ली जाती है, देश के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा व जुड़ाव रखना अनिवार्य होता है। वे किसी भी पक्षपात से ऊपर उठकर भय मुक्त होकर अपना कार्य कर सकें और कानून व संविधान की गरिमा को बनाए रखने का दायित्व रखते हैं।

भारत में आम जनता न्याय प्रणाली में विशेष आस्था रखती है। अनेक अवसरों पर जब राजनैतिक दल उत्पन्न परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं तब न्याय प्रणाली ही रास्ता निकाला करती है और आम जनता राहत व शांति का अनुभव करती है। यद्यपि ऐसे बहुत से घटनाक्रम हुए हैं जब देश की न्याय प्रणाली पर तीखे प्रश्न उठते रहे हैं तथा उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज विवादों में देखे जाते रहे हैं तथा उनकी विश्वसनीयता संदेह से देखी जाती रही है। परंतु फिर भी लोगों को न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है जिसे प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र बनाया गया है। इस बार गणेश पूजन के अवसर के चित्र व वीडियों प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए जिस पर प्रश्न उठेंगे हीं, भले ही प्रधानमंत्री, प्रमुख न्यायधीश के यहां आमंत्रित किए गए हों। प्रमुख न्यायधीश के पद की शपथ की गरिमा पर भी प्रश्न उठेंगें। इस तरह देश के प्रमुख न्यायधीश व प्रधानमंत्री ने अपनी पद की शपथ की गरिमा को खंडित किया है तथा ऐसा दोनों ने किया है। पद को लेकर ली गयी शपथ का संबंध संविधान के साथ ही नहीं होता है बल्कि अपनी चेतना के साथ भी होता है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ–भाजपा के एजेंडें के अनुयायी इस घटना से प्रसन्न हैं और कह रहे हैं कि उत्सव के अवसर हमें पास लाते हैं। ऐसे अवसरों पर मिल–जुलकर पूजा की जाती है तथा कौन किसके साथ कहां ऐसे आयोजनों में गया है या देखा गया हैं जैसे विवाद उठाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे लोकतंत्र के इतिहास में संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के सदस्यों के मध्य पारस्परिक मेल–जोल या प्रभाव की बात कोई नई नहीं है। पास आना हमारे त्यौहारों व उत्सवों का विशिष्ट चरित्र हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री एवं प्रमुख न्यायाधीश अपनी धार्मिक आस्था को लेकर एक साथ प्रमुख न्यायाधीश के घर देखे गए तो यह उनका अधिकार है और इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए।

भारत एक बहु–सांस्कृतिक देश है। भारत विविध व विशाल है तभी उसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है जहां भाषायी विविधता प्रबलता से है और विविध धर्मो व आस्था के लोगों का सह–अस्तित्व एक वास्तविकता है जो सबको बांध के रखती है। ऐसा सहसस्त्राब्दियों से है। प्रधानमंत्री व प्रमुख न्यायाधीश की साझा सार्वजनिक हुई छवि से स्पष्ट रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या धर्म को देश की न्यायापालिका के साथ मिश्रित किया जा रहा है। हमारे देश व समाज में अनेक धर्म व आस्था का जीवंत संचार है तब ऐसे में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों द्वारा एक धर्म विशेष के चित्र को सार्वजनिक किया जाना उनके द्वारा पद की शपथ की गरिमा के विरुद्ध क्यों नहीं है? एस.आर.बोम्मई केस याद कीजिए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था: ''संविधान इसे मान्यता नहीं देता, ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, धर्म व सत्ता का मिश्रण नहीं होना चाहिए। दोनों को अलग अवश्य ही रखा जाना चाहिए।''

लोकतंत्र की चुनौतियों से हमें निपटना आवश्यक है क्योंकि गत 10 वर्षो से हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली का काला युग चल रहा है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के तीन आवश्यक स्तंभ हैं जिन्हें मोदी काल में बहुत कमजोर किया गया है। हमारी बातों को समझने हेतु निम्नलिखित दो विषयों की विवेचना जरूरी है।

भीड़ हिंसा–उत्तर भारत से और मुख्यतः हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भीड़ हिंसा का समाचार आ रहा है। गोमांस की तस्करी और गो हत्या का आरोप गो रक्षकों ने लगाया और हरियाणा में दो लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। यह भीड़ हिंसा पुनः उफन रही है। बड़े समूह के द्वारा छोटे समूह को निशाना बनाया जा रहा है। बड़े समूह के लोग अपना दावा या अधिकार मानते हैं और भले ही यह कार्य अवैध न हो, अल्प समूह के लोग शिकार बनाए जा रहे हैं। बड़े समूह न तो संविधान को मानते

शेष पेज 2 पर...

वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के लिए एक अपूरणीय क्षति

(ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव जी. देवराजन ने 12 सितंबर 2024 को कॉमरेड सीताराम येचुरी के निधन पर निम्नलिखित बयान जारी किया है)

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय कमेटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी के दुखद और आकस्मिक निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

कॉमरेड सीताराम येचुरी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति और वामपंथी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण आवाज थे। कॉमरेड सीताराम को आज के वामपंथी राजनीतिक आंदोलन में सबसे अग्रणी नेता के रूप में जाना जाता था। उनकी वाक्पटुता, सौम्य व्यवहार और सहज शारीरिक भाषा वामपंथी राजनीति की ओर प्रगतिशील दिमागों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। चुनौतीपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में सकारात्मक हस्तक्षेप करने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता विस्मयकारी थी।

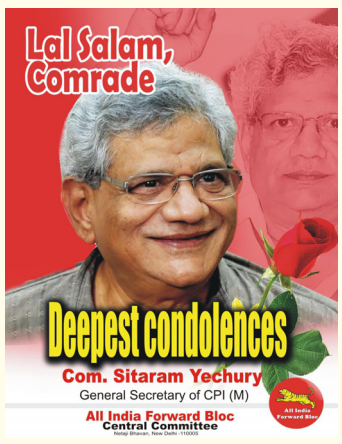

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव के रूप में उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता ने भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने कार्यकाल के दौरान, सीताराम येचुरी ने अपने आदर्शो के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और उन उद्देश्यों के लिए अथक परिश्रम किया, जिन पर उन्हें विश्वास था। राजनीतिक विमर्श और सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान महत्वपूर्ण था, और उन्हें

उनके समर्पण और प्रभाव के लिए याद किया जाएगा।

येचुरी के कार्यकाल की विशेषता यह थी कि वे तेजी से विकसित हो रहे राजनीतिक माहौल में मार्क्सवाद के सिद्धांतों को स्पष्ट करने और उनका बचाव करने में सक्षम थे। उन्होंने वामपंथ की नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में

शेष पेज 2 पर...

हरियाणा और जम्मू व कश्मीर विधान सभा चुनावों में मोदी की विभाजनकारी नीति जारी

संपादकीय

जहां तक भारत के राजनैतिक व न्यायिक इतिहास का प्रश्न है सितम्बर की 12 तारीख की चर्चा विशेष कारणों से अवश्य ही होगी। यह वह दिन है जब इस वर्ष गणेश–पूजन के शुभ अवसर पर आवश्यक विभाजनकारी रेखा को लांघकर देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ देखी गई। देश के प्रमुख न्यायाधीश के आवास पर हो रहे पूजन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु देश के प्रधानमंत्री जा पहुंचे। इस प्रकार दोनों की संवैधानिक मर्यादाएं भलीभांति प्रभावित हुई।

यह वही 12 सितम्बर है जब पटियाला हाउस (कोर्ट) नई दिल्ली द्वारा इंजीनियर राशिद को रिहा किया गया। राशिद, जम्मू व कश्मीर से एक सांसद है जो यूएपीए के तहत जेल में बंद थे, जिनको एक आतंकवादी को फंड मुहैया कराने का आरोपी बनाया गया था। याद कीजिए जेएनयू के उमर खालिद को और जामिया मिलिया इस्लामिया व दिल्ली विश्वविद्यालय के उनके साथियों को जो इसी यूएपीए के तहत जेल में हैं। सीएए 2019 के विरोध में जारी धरना प्रदर्शन में उत्साहित कर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का आरोप है जिस कारण दिल्ली पुलिस के अनुसार फरवरी 23–24, 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भड़के थे। ये सब अभी भी जेल में हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या उमर खालिद व उनके साथियों का अपराध, देश की सम्प्रभुता को लेकर, राशिद के द्वारा आतंकवादी की फंड दिलाने से ज्यादा गंभीर है? स्पष्ट है कि जम्मू व कश्मीर में विधानसभा का चुनाव है तथा उसका लाभ सत्ता पक्ष को लेना है।

पुनः 12 सितम्बर को याद करें जब अरविंद केजरीवाल की अपील पर उन्हें अगले दिन रिहा करने की भूमिका का निर्माण हो गया तथा 13 सितम्बर को वे रिहा हुए। पिछले कई माह से वे तिहाड़ जेल में बंद थे। उनके जमानत की शर्त भी विचित्र है कि वे अपने ऑफिस दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं, अधिकारियों की आवश्यक मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि उनकी रिहाई इसलिए हुई कि वे जोर–शोर से हरियाणा विधानसभा में 'आप' का प्रचार करें तथा भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचे। 'इंडिया' गठबंधन यहां बिखर गया है तथा विधानसभा की 90 सीटों पर कांग्रेस व आप ने अपने–अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

हरियाणा राज्य में भाजपा के विरोध में लहर चल रही है तथा कांग्रेस के अनुकूल वातावरण बना हुआ है। इसको बदलकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का दावा भाजपा कर रही है।

जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, मायावती, जेजेपी, तथा अब 'आप' के आ जाने से कांग्रेस की परिस्थिति को चुनौती मिलेगी। भाजपा इसका लाभ लेगी। मूल प्रश्न यही है। इसी कारण केजरीवाल की रिहाई हुई है। यहीं नहीं छह बार अब तक पेरोल पर छूटने वाला राम रहीम भी जेल से पुनः बाहर है तथा भाजपा का कमजोर भाग्य राज्य में कैसे मजबूत हो इसीलिए वह भी लगा हुआ है। साथ मे बहुसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण तेज करने को लेकर एक बार फिर से निर्दिष्टित हिंसा (भीड़ हिंसा) हरियाणा में उफन रही है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवकसंघ – भाजपा का पुराना एजेंडा है।

जम्मू व कश्मीर के लोग भाजपा से नाराज हैं क्योंकि उनका राज्य का दर्जा चला गया और केंद्र शासित क्षेत्र बन कर रह गए। 9 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 व 35ए मिटाकर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। आगे चलकर चुनाव क्षेत्रों का गठन (डिलीमीटेशन) नए तौर पर विभाजनकारी बनाकर गढ़ा गया। मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर घाटी और हिन्दू बाहुल्य जम्मू में अवांछनीय और अकारण यह गठन बदला गया। जम्मूकी 37 सीटों को बढ़ाकर 43 किया गया और कश्मीर घाटी की 47 सीटों को घटाकर 46 किया गया तथा पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जाति व जन जातियों के नाम पर राज्य में सृजित किए गए। जम्मू व कश्मीर राज्य की राजनैतिक शक्ति संतुलन को पूरी तरह पलटने की नीयत से भाजपा ने ये कार्य किए हैं। ऐसा कर भाजपा ने दो राष्ट्रवादी राजनैतिक दलों नेशनल कांफ्रेस व पीडीपी की भूमिका को दबाया है जिन दलों ने भारतीय संविधान की शपथ ली है। भाजपा–विरोधी मतों को विभाजित करने में मोदी ने अपनी पूरी कोशिश कर अपना मार्ग बनाने का प्रयत्न किया है।

इन दोनों राज्यों के चुनाव का साम्प्रदायिकरण कर जीत हासिल करने का मोदी का कार्यक्रम है जिसके बल पर ऊर्जा प्राप्त कर वे भाजपा विरोधी लहर को दबा सकें तथा असम, झारखंड तथा महाराष्ट्र में पहले से चल रहे मोदी विरोधी लहर के रूख को कुछ हद तक परिवर्तित कर सकें।

यह तो समय बताएगा क्योंकि हर जगह जन मानस मोदी विरोधी होता जा रहा है। लोग पूरा बदलाव चाह रहे हैं तथा जनता को जगाने का अपना कार्यक्रम हम सबको करते रहना चाहिए।

वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों...

पेज 1 से जारी...

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय जैसे मुद्दों की वकालत की गई। उनके भाषणों और लेखन में वामपंथी विचारधारा के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं के साथ गहरी संलग्नता दिखाई देती थी, जो समर्थकों और आलोचकों के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ समान रूप से गूंजती थी।

येचुरी के सबसे स्थायी योगदानों में से एक श्रमिक वर्ग की राजनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने मजदूरों, किसानों और हाशिए के समुदायों के हितों की वकालत की, लगातार ऐसी नीतियों पर जोर दिया, जिनका उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को कम करना और जीवन स्तर में सुधार करना था। महत्वपूर्ण श्रमिक हड़तालों और किसान विरोधों के दौरान उनके नेतृत्व ने जमीनी स्तर के आंदोलनों के प्रति उनके समर्पण और परिवर्तनकारी सामाजिक बदलावों के लिए समर्थन जुटाने की उनकी क्षमता को उजागर किया।

येचुरी की भूमिका केवल पारंपरिक दलीय राजनीति तक सीमित नहीं थी। वे विभिन्न सामाजिक आंदोलनों और प्रगतिशील संगठनों के साथ सक्रिय रूप से संवाद में लगे रहे, ताकि ऐसे गठबंधन बनाए जा सकें जो व्यवस्थागत अन्याय को दूर कर सकें और समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकें। उनके प्रयास सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और विविध सामाजिक समूहों के बीच एकजुटता में उनके विश्वास का प्रमाण थे। अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में उनका ज्ञान न केवल असाधारण था, बल्कि दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता था। उनका आकस्मिक निधन न केवल सीपीआई (एम) के लिए बल्कि देश के वामपंथी और प्रगतिशील आंदोलन के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कई नेताओं के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। सीताराम के निधन से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपने सबसे करीबी साथियों में से एक को खो दिया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कॉमरेड सीताराम येचुरी की शानदार यादों को संजोते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और सीपीआई (एम) के सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनके निधन पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों के दुख में शामिल होता है।

लोकतंत्र की चुनौतियों से निपटना...

पेज 1 से जारी...

न तो संविधान को मानता है और न ही कानून व्यवस्था की कद्र करता है। यहां बड़े समूह के चुनिन्दा लोगों के बारे में कहा जा रहा है जो भीड़ हिंसा के नाम पर, गौ रक्षक बन अल्पसंख्यक समुदाय को शिकार बनाते है तथा देश के पंथ निरपेक्ष ताने बाने को क्षति पहुंचाते जा रहे हैं। यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ–भाजपा के एजेंडे के अनुकूल है जिस के द्वारा बहुसंख्यक वर्ग का का दब–दबा स्थापित किया जा रहा है।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में मानवीय गरिमा का वर्णन है और भीड़ हिंसा द्वारा उसका उल्लघंन होता है तथा यूनिवर्सल डिक्लेरशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोर अवमानना है। 'समानता का अधिकार' तथा 'भेदभाव पर रोक' जैसी भावना को समाप्त किया जा रहा है। इस तरह संविधान में वर्णित धारा 14 व 15 की अवमानना हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ हिंसा को भीड़ तंत्र का खराब रूप कहा है। भारतीय लोकतंत्र व समाज में भीड़ हिंसा की कोई जगह नहीं है। हर हाल में हमारे देश व समाज से भीड़ हिंसा को दूर करना होगा। हर हाल में हमारे देश व समाज से भीड़ हिंसा का उन्मूलन होना अनिवार्य है।

2. मणिपुर अभी भी जल रहा है: गत 3 मई 2024 को मणिपुर हिंसा को लेकर एक सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके अनुसार 22 लोग हिंसा में मारे गए और 60,000 लोग विस्थापित हुए। रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग घायल हुए ताा 32 लोग लापता हुए। लगभग 4786 घरों और 386 धर्म स्थलों को जलाया गया जिसमें मंदिर व चर्च भी शामिल है। इस वर्ष मई में इस हिंसा को होते हुए एक वर्ष बीत गया। हिंसा अभी भी जारी है तथा आवश्यक इंटरनेट सेवाएं कटती रहती हैं। मणिपुर हिंसा ने एक सिविल वॉर अर्थात् गृह युद्ध का रूप ले लिया है तथा अपरिवर्तन शील बदलावों ने आकार ले लिया है। राज्य के लोगों का आपसी नज़रिया और केन्द्र को समझने व केन्द्र द्वारा उन्हें समझने के विषय जटिल रूप ले चुके है तथा हमें यह स्वीकार करना चाहिए की मणिपुर भारत का भाग है, वहां के लोग हमारे हैं। राज्य व केंद्र सरकारों को इस समस्या के निदान के लिए आवश्यक कदम उठाना होगा।

निष्कर्ष : भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र है जिसकी जीवंतता को पाने के लिए काया पलट जरूरी है। आज जीवंत संवेदनायुक्त नागरिक पहचान, तार्किक दिमाग और वैज्ञानिक प्रगतिशील सोच के साथ स्वतंत्र प्रेस की आवश्यकता है। आज स्वतंत्र न्यायपालिका और चेक एंड बैलेंस की मजबूत प्रणाली की जरूरत है। एक समय था जब स्वतंत्रता और समानता के मजबूत मानदंडों पर भारतीय समाज आगे बढ़ रहा था–उसकी गति थम सी गयी है। अति केंद्रीकृत शासनतंत्र की जानलेवा पकड़ बढ़ रही है तथा भारतीय लोकतंत्र को धक्के ही नहीं बल्कि हिंसात्मक झटके दिए जा रहे हैं जिस कारण लोकतंत्र को संजीदा रखने वाले हर संस्थान व परिपाटियां कमजोर कर तिरोहित की जा रही है। देश में आक्रामक रूप से बहुसंख्यकवाद हावी होता जा रहा है तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार सिमटते जा रहे हैं। यह सब एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है जहां विरोध के सुर को राष्ट्रविरोधी कहा जाता है। परंतु कहानी इतनी सी ही नहीं है।

आज हर ओर आंदोलन उभर रहे हैं। विरोध दबाए जाने के बावजूद मुखरित हो रहा है तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ता, छात्र, युवा, किसान, ट्रेड यूनियन, वकील, नागरिक, लेखक और बुद्धिजीवी सभी उद्वेलित हैं। न्याय व लोकतंत्र की रक्षा के लिए आए दिन आंदोलनरत रहते हैं। इन संघर्षो से प्रसारित ऊर्जा शक्ति दे रही है जिसके बल पर समानता, न्याय व समाजवाद के मूल्यों पर देश का नवनिर्माण संभव प्रतीत होता है।

चीन और भारत एक दूसरे की सफलता में कैसे योगदान दे सकते हैं

(भारत में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास द्वारा सेंटर फॉर ग्लोबल इंडिया इनसाइट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ साझेदारी में आयोजित सेमिनार में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव कॉमरेड जी. देवराजन की 19 सितंबर 2024 को "आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए गहन सुधार: चीन और भारत एक दूसरे की सफलता में कैसे योगदान दे सकते हैं" पर विवेचना निम्नवत है)।

भारत में चीनी राजदूत माननीय हू फेइहोंग, प्रिय साथियों और मित्रों,

तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में, दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश और उभरती हुई आर्थिक महाशक्तियाँ–चीन और भारत के रास्ते तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। आधुनिकीकरण की अपनी आकांक्षाओं से प्रेरित दोनों राष्ट्र जटिल चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहे हैं, जिनका आपसी सहयोग से लाभ उठाया जा सकता है।

आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए गहन सुधार का विषय, जैसा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति की बैठक में जोर दिया गया, भारत के अपने आधुनिकीकरण लक्ष्यों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। यह जांच कर कि चीन और भारत रणनीतिक सहयोग और सुधार के माध्यम से एक–दूसरे की सफलता में कैसे योगदान दे सकते हैं, हम पारस्परिक विकास और स्थिरता के मार्गों की पहचान कर सकते हैं। चीन और भारत दोनों की आधुनिकीकरण रणनीतियों के मूल में उनकी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को बदलने के उद्देश्य से व्यापक सुधार अविर्य हैं। चीन के लिए, नवाचार, तकनीकी उन्नति और टिकाऊ प्रथाओं पर जोर देने के साथ, उच्च गति के विकास से उच्च गुणवत्ता वाले विकास में संक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत के आधुनिकीकरण प्रयासों में विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार शामिल हैं। भारत सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए "मेक इन इंडिया", डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार आदि जैसी पहलों को प्राथमिकता दी है।

अभूतपूर्व वैश्विक अंतर्संबंध के इस युग में, भारत और चीन के बीच साझेदारी एशिया के विकास, विश्व शांति, तकनीकी नवाचार और मानवता की समग्र उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ी है। दोनों राष्ट्र गरीबी उन्मूलन, शहरीकरण और तकनीकी उन्नति जैसे समान विकास लक्ष्यों को साझा करते हैं। इन क्षेत्रों में संयुक्त पहल से साझा प्रगति और नवाचार हो सकता है, जिससे न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरे एशियाई क्षेत्र को लाभ होगा। भारत और चीन दोनों ही तकनीकी उन्नति के मामले में सबसे आगे हैं। इस क्षेत्र में उनके सहयोग से परिवर्तनकारी नवाचार हो सकते हैं। चीन की उन्नत विनिर्माण क्षमताएँ और तकनीकी कौशल, भारत के बढ़ते आईटी क्षेत्र और उद्यमशीलता की भावना के साथ मिलकर सहयोगी उपक्रमों के लिए अवसर प्रस्तुत करते हैं। प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करके, दोनों देश अपने आधुनिकीकरण लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए आम चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5जी तकनीक और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में चीन की प्रगति को सॉफ्टवेयर विकास, डेटा एनालिटिक्स और स्टार्टअप में भारत की विशेषज्ञता से पूरित किया जा सकता है। संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते आपसी लाभ को सुगम बना सकते हैं, तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और साझा समस्याओं के लिए अभिनव समाधान तैयार कर सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा में सहयोगात्मक प्रयास, महामारी और शैक्षिक असमानताओं जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। संयुक्त स्वास्थ्य पहल और शैक्षिक आदान–प्रदान ज्ञान और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार कर सकते हैं, जिससे दुनिया भर के लोगों को लाभ मिल सकता है। दोनों राष्ट्र महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सतत विकास परियोजनाओं पर एक साथ काम करके, वे वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों में योगदान दे सकते हैं और जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों का समाधान कर सकते हैं।

सांस्कृतिक आदान–प्रदान और आपसी समझ में वृद्धि वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा दे सकती है। भारत और चीन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मूल्यवान अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान करती है जो एक अधिक परस्पर जुड़ी और सहानुभूतिपूर्ण दुनिया में योगदान दे सकती है। चीन और भारत के बीच संबंधों में सहयोग और विवाद का एक जटिल अंतर्संबंध है। जबकि दोनों देश अपनी विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं और आधुनिकीकरण लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐतिहासिक सीमा विवाद और अन्य लंबित मुद्दों ने कभी–कभी उनके संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। जबकि आर्थिक सहयोग स्पष्ट लाभ प्रदान करता है, चीन और भारत को राजनीतिक और रणनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना चाहिए जो उनके सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं। ऐतिहासिक तनाव और भू–राजनीतिक विचार साझेदारी के प्रयासों को जटिल बना सकते हैं। हालाँकि, कूटनीतिक संवाद, राजनीतिक आदान–प्रदान और विश्वास–निर्माण उपायों के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित करने से गहन सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मजबूत कूटनीतिक चैनल और नियमित संचार विवादों को प्रबंधित करने और गलतफहमियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, पंचशील के सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के पाँच सिद्धांत, एक ऐसा ढाँचा प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से चीन और भारत अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं और आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। बाहरी नेता अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत और चीन के बीच मौजूदा तनावों का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। दोनों देशों के लिए ऐसी चालों से अवगत रहना और बाहरी दबावों पर द्विपक्षीय वार्ता और सहयोग को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। सक्रिय कूटनीति में संलग्न होकर, भारत और चीन बाहरी प्रभावों से उत्पन्न होने से पहले मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं। एशिया के विकास को आगे बढ़ाने, विश्व शांति को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने और मानव प्रगति को बढ़ावा देने के लिए भारत और चीन के बीच एकता और सहयोग आवश्यक है। अपने साझा लक्ष्यों और सिद्धांतों का पालन करके और अपने संबंधों को कमजोर करने के बाहरी प्रयासों का विरोध करके, दोनों देश अपनी सामूहिक शक्तियों का उपयोग करके एक अधिक स्थिर, समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण वैश्विक समुदाय बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहाँ परस्पर जुड़ाव और सहयोग तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, भारत–चीन साझेदारी इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे रणनीतिक एकता सकारात्मक बदलाव ला सकती है और समग्र रूप से मानवता को लाभान्वित कर सकती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि दोनों देश अपने मौजूदा सहयोग को और मजबूत करेंगे और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभिनव रास्ते अपनाएँगे। चीन और भारत के लोगों के बीच भाईचारे का रिश्ता अमर रहे। आप सभी का धन्यवाद।

ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में होगा

12 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय किसान विरोध दिवस

ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा की केंद्रीय समन्वय कमेटी ने 15, 16 और 17 दिसंबर 2024 को पटना, बिहार में अपना 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही निम्नलिखित मांगों के आधार पर 12 नवंबर 2024 को पूरे देश में राष्ट्रीय किसान विरोध दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा की सभी राज्य इकाइयों को विरोध कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और राज्यपालों को ज्ञापन सौंपने की योजना बनानी चाहिए।

1. कृषि उत्पादों के लिए वैधानिक एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) दिया जाए। डा. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।

2. सभी राज्य सरकारों द्वारा तत्काल प्रभाव से व्यापक कृषि–कल्याण अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए। उक्त कृषि कल्याण अधिनियम में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए। कृषि पेंशन 10,000/– रुपये प्रति माह, फसल बीमा, सब्सिडी वाली बिजली, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण आदि।

3. कृषि क्षेत्र में अनुबंध खेती और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को रोका जाना चाहिए।

4. भारतीय कृषि क्षेत्र पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की समीक्षा की जानी चाहिए और एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए।

5. भूमि सुधार अधिनियमों को सख्ती से लागू करके जोतने वालों को जमीन सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इन मांगों के साथ, ऑल इंडिया किसान सभा की सभी राज्य इकाइयों को स्वतंत्र किसान आंदोलन संगठित करने और संयुक्त किसान मोर्चा के चल रहे आंदोलनों में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है।

6. राष्ट्रीय किसान विरोध दिवस ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय किसान विरोध दिवस के लिए दीवार–लेखन, पोस्टर, बोर्ड और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से अधिकतम प्रचार किया जाना चाहिए।

क्या आरबीआई दिवालिया होने की ओर बढ़ रहा है?

लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार ने आरबीआई से 1.65 लाख करोड़ रुपए लिए थे और अब आरबीआई के पास मात्र 30,000 करोड़ रुपए रह गए हैं।

इससे पता चलता है कि बैंक ही नहीं बल्कि आरबीआई भी दिवालिया होने की राह पर है...

क्या यह खतरे की घंटी नहीं है?

ऐसा क्यों और कैसे हुआ?

आज आम नागरिक ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि वे अर्थशास्त्र से ज्यादा धार्मिक शास्त्रों में उलझे हुए हैं। उन्हें शायद यह भी पता नहीं होगा कि 2014 से पहले किसी भी सरकार ने आरबीआई से पूरा 'अतिरिक्त धन–कुल लाभ' नहीं लिया था।

सरकार ने केवल एक हिस्सा लाभांश के रूप में लिया था।

2018 में जब उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे, तब मोदी सरकार ने बैंक से लाभ का पूरा पैसा मांगा था। हालांकि, पटेल ने नियमों के अनुसार इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें गवर्नर पद से इस्तीफा देना पड़ा।

फिर सरकार ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित की, जिसने सरकार के लिए रास्ता साफ किया।

उस समय तक आरबीआई से लाभांश के रूप में ली जाने वाली अधिकतम राशि 50/55 हजार करोड़ थी।

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने त्र्प से 50 हजार करोड़ की जगह 70 हजार करोड़ मांगे थे, लेकिन बैंक ने साफ मना कर दिया और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया।

इस सरकार ने न केवल अपने लिए आरबीआई के नियम बदले हैं, बल्कि कॉरपोरेट और कंपनियों के लिए 323 से 27 कानून बदलकर उनके कारनामों पर पर्दा डाल दिया है।

पिछले 3 से 5 साल में 50 हजार कंपनियां दिवालिया हो गई। बैंकों के कर्ज डूब गए और 70 हजार नई कंपनियां नए कर्ज लेकर खड़ी हो गई। यही इस सरकार का अर्थशास्त्र है।

आज अगर आरबीआई को अपेक्षित 74 हजार करोड़ का मुनाफा नहीं है और जो थोड़ा–बहुत है, वह भी सरकार ले लेगी, तो डूबते बैंकों को कौन बचाएगा?

लक्ष्मी विलास, यस बैंक, डीएचएफएल जैसे बैंक तो आपको याद ही होंगे। लक्ष्मी विलास को सिंगापुर के बैंक को बेच दिया गया। बाकी दो बैंकों की हालत अभी भी बहुत खराब है, और अब दो और बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। कुतुब मीनार विष्णु स्तम्भ है या ज्ञानवापी में शिवलिंग है, यह समझने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि सरकार की इस आर्थिक नीति ने देश को कहां पहुंचा दिया है। संवैधानिक नियम कहता है कि अगर लगातार 4 महीने तक महंगाई बढ़ती रहे, तो सरकार को सीधे आरबीआई से सवाल करना चाहिए! और आरबीआई को भी उचित जवाब देना चाहिए। लेकिन पिछले 6 महीने से महंगाई सूचकांक बढ़ने के बावजूद सरकार ने न तो सवाल किया है और न ही आरबीआई ने कोई स्पष्टीकरण दिया है। संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज का आरबीआई बोर्ड सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो जवाबदेह कौन होगा? उर्जित पटेल के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वे सरकार के खिलाफ गए थे! ऐसे ज्वलंत उदाहरण सामने होने पर, सरकार के खिलाफ कौन जाएगा?

इसके विपरीत, सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड ने सरकार का साथ देकर आरबीआई को इस स्थिति में पहुंचा दिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के 2006 से 2014 तक के आठ साल के कार्यकाल की तुलना मोदी के 2014 से 2022 तक के कार्यकाल से करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि डा. सिंह के कार्यकाल में सरकार ने आरबीआई से केवल 1,01,679 करोड़ लिए, जबकि मोदी के कार्यकाल में यह राशि 5,74,976 करोड़ है! यानी पांच गुना ज्यादा है।

इसे कहते हैं 'सिस्टम के जरिए चालाकी से किया गया भ्रष्टाचार!'

आप ही तय करें कि आरबीआई को दिवालिया बनाने का असली जिम्मेदार कौन है?

(विजय घोरपड़े, अर्थशास्त्री)

प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की बात कही, लेकिन आंकड़े इसके विपरीत हैं

हमारे युवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर अवसरों के द्वार खुले हैं। स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनगिनत नए रोजगार के अवसर, जो आजादी के बाद कई वर्षों तक हमारे पास नहीं थे, अब हमारे दरवाजे पर हैं।

यह एक महत्वपूर्ण दावा है, ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की भारत रोजगार रिपोर्ट सहित कई रिपोर्ट नीति निर्माताओं को देश की बढ़ती बेरोजगारी दर, खासकर युवाओं के बीच, के बारे में आगाह कर रही हैं। मेरे देश के युवा अब धीरे–धीरे आगे बढ़ना नहीं चाहते। वे क्रमिक प्रगति में विश्वास नहीं करते। इसके बजाय, वे छलांग लगाने, साहसिक कदम उठाकर नए मुकाम हासिल करने के मूड में हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह भारत के लिए स्वर्णिम काल है। वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में भी, यह वास्तव में हमारा स्वर्णिम काल है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, आईएलओ ने अपनी ग्लोबल एम्प्लयमेंट ट्रेंड्स फर यूथ 2024 रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर के युवा सुरक्षित काम नहीं पा पा रहे हैं और नौकरी पाने की संभावना कम होती जा रही है क्योंकि जिस देश में वे रहते हैं, वहां की आय का स्तर घट रहा है।

आईएलओ ने चेतावनी दी कि 15–24 वर्ष के युवाओं की संख्या जो रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं हैं, चिंताजनक है और कोविड–19 महामारी के बाद रोजगार में सुधार सार्वभौमिक नहीं है। आईएलओ ने रिपोर्ट में कहा, 'कुछ क्षेत्रों में युवा और युवतियां आर्थिक सुधार का लाभ नहीं देख पा रहे हैं।' भारत में, विपक्ष न केवल बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बल्कि रोजगार परिदृश्य पर आंकड़ों की अनुपलब्धता को लेकर भी केंद्र पर हमला कर रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2011–12 तक रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण जारी करता था। 2017 से, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणों ने रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों की जगह ले ली।

श्रम अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा ने कहा, 'भारत ने श्रम सांख्यिकीविदों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिबद्धता जताई थी कि वह आईएलओ की परिभाषाओं के आधार पर एक व्यापक सर्वेक्षण कराएगा। लेकिन आईएलओ की परिभाषाओं के आधार पर इस तरह का सर्वेक्षण करने का निर्णय लेने के बावजूद कोई पायलट सर्वेक्षण नहीं किया गया।' उन्होंने कहा, 'इसके बावजूद, 2017 में पीएलएफएस पिछले 45 वर्षों में देश में सबसे अधिक रहा।' पहले पीएलएफएस में पाया गया था कि 2004–05 और 2011–12 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित पुरुषों में बेरोजगारी दर 3.5–4.4 प्रतिशत के बीच थी, जो 2017–18 के दौरान बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गई। शिक्षित ग्रामीण महिलाओं के लिए, 2004–05 और 2011–12 के बीच बेरोजगारी दर 9.7–15.2 प्रतिशत थी। यह 2017–18 में बढ़कर 17.3 प्रतिशत हो गई। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित पुरुषों के लिए, बेरोजगारी दर 2004–05 और 2011–12 के बीच 3.6 प्रतिशत से 5.1 प्रतिशत थी, जो 2017–18 के दौरान बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गई। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं में, बेरोजगारी दर 10.3 प्रतिशत –15.6 प्रतिशत के बीच थी, जो 2017–18 में बढ़कर 19.8 प्रतिशत हो गई। उन्होंने कहा, 'तीसरी मोदी सरकार के तहत भी इस मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसी स्थिति नीतियों का परिणाम है।' केंद्र हाल ही में आरबीआई द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के) पूंजी, एलः श्रम, ईः ऊर्जा, एमः सामग्री और एसः सेवाएँ) डेटाबेस पर भरोसा कर रहा है, जिसने दिखाया कि भारत में रोजगार 2017–18 में 47.5 करोड़ की तुलना में 2023–24 में 64.33 करोड़ हो गया। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के पेरोल डेटा को भी प्रदर्शित किया, जिसमें दिखाया गया कि 2023–24 में 1.3 करोड़ से अधिक शुद्ध ग्राहक इसमें शामिल हुए। केंद्र ने कहा, 'इसके अलावा, पिछले 6.5 वर्षों (सितंबर 2017 से मार्च 2024) के दौरान 6.2 करोड़ से अधिक शुद्ध ग्राहक ईपीएफओ में शामिल हुए, जो रोजगार के औपचारिककरण में वृद्धि का संकेत है।'

प्रो. मेहरोत्रा ने कहा कि केएलईएमएस ने संकट में कृषि क्षेत्र में प्रवासियों की वापसी और नौकरियों को भी गिना है। उन्होंने कहा, 'नोटबंदी, अनियोजित जीएसटी और लॉकडाउन जैसी नीतियों ने यह परिदृश्य बनाया है।' (ए.एम. जिगीश द्वारा द हिंदू के सौजन्य से)

वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फु ट्रोंग का निधन

पिछले अंक से जारी...

उनके सैद्धांतिक योगदान वियतनाम से आगे तक फैले हुए हैं, जो व्यावहारिक आर्थिक नीतियों के साथ समाजवादी आदर्शों को एकीकृत करने के लिए एक मॉडल प्रदान करते हैं। वैचारिक अनुशासन, रणनीतिक आर्थिक सुधारों और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर जोर देकर, कॉमरेड ट्रिंग का ढांचा आधुनिक दुनिया में समाजवाद के अपने स्वयं के संस्करण विकसित करने के इच्छुक देशों के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह मॉडल वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के सामने समाजवादी सिद्धांतों के विकसित होने और प्रासंगिक बने रहने की क्षमता पर प्रकाश डालता है और अन्य देशों को न्यायसंगत और सतत विकास के लिए अपने स्वयं के प्रयासों में अनुसरण करने का मार्ग प्रदान करता है।

प्रश्न संख्या 3: आपके अनुसार, वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फु ट्रोंग ने वियतनाम और अन्य देशों के बीच संबंधों को विकसित करने, विदेशी मामलों, संस्कृति, महान एकजुटता, निर्माण और मानव विकास में क्या योगदान दिया है–?

उत्तर: कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग के नेतृत्व में कूटनीति के प्रति रणनीतिक दृष्टिकोण की विशेषता रही है, जिसमें न केवल राजनीतिक और आर्थिक संबंध शामिल हैं, बल्कि सांस्कृतिक आदान–प्रदान, एकजुटता की पहल, मानव विकास और अंतर–पार्टी सहयोग भी शामिल हैं। महासचिव के रूप में कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग के कार्यकाल की विशेषता एक सक्रिय और बहुमुखी विदेश नीति रणनीति रही है, जिसका उद्देश्य वियतनाम की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को बढ़ाना और रणनीतिक साझेदारी बनाना है। इस क्षेत्र में उनके योगदान को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता हैः कॉमरेड ट्रिंग ने प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ वियतनाम की रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और गहनता की देखरेख की है। उनके नेतृत्व में, वियतनाम ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और भारत जैसे देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया है। कॉमरेड ट्रिंग ने एक "विविध और बहुपक्षीय विदेश नीति" को बढ़ावा दिया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा को बनाए रखते हुए प्रमुख शक्तियों के बीच संबंधों को संतुलित करना है। इस दृष्टिकोण के कारण राजनयिक यात्राओं, उच्च स्तरीय बैठकों और संयुक्त घोषणाओं में वृद्धि हुई है, जिससे वियतनाम की अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत हुई है। कॉमरेड ट्रिंग क्षेत्रीय संगठनों और मंचों में वियतनाम की सक्रिय भागीदारी के प्रबल समर्थक रहे हैं। आसियान (दक्षिण–पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन) पहलों के लिए उनका समर्थन क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ट्रिंग ने आसियान समुदाय के राजनीतिक–सुरक्षा सहयोग, आर्थिक एकीकरण और सामाजिक–सांस्कृतिक आदान–प्रदान के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में वियतनाम की भूमिका पर जोर दिया है। उनका नेतृत्व क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के साथ वियतनाम की भागीदारी में भी स्पष्ट रहा है, जिसका उद्देश्य एशिया–प्रशांत क्षेत्र में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है।

कॉमरेड ट्रिंग की विदेश नीति वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साधन के रूप में बहुपक्षीय कूटनीति पर जोर देती है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वियतनाम की भागीदारी का समर्थन किया है। उनके नेतृत्व में, वियतनाम ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है और जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और सहयोग का समर्थक रहा है। कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग ने वियतनामी संस्कृति को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कॉमरेड ट्रिंग ने वियतनाम और दुनिया के बीच पुल बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में सांस्कृतिक कूटनीति के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। उनके प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सवों, कला प्रदर्शनियों और शैक्षणिक आदान–प्रदान सहित विभिन्न सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इन पहलों का उद्देश्य वियतनामी संस्कृति को प्रदर्शित करना, आपसी समझ को बढ़ावा देना और अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। कॉमरेड ट्रिंग ने राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय अपील को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में वियतनाम की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन का समर्थन किया है। वियतनाम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को उजागर करने वाली पहलों के लिए उनके समर्थन ने वैश्विक मंच पर देश की छवि को बढ़ाने और वियतनामी संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय रुचि को आकर्षित करने में मदद की है। कॉमरेड ट्रिंग के नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में लोगों के बीच आदान–प्रदान के महत्व पर जोर दिया है। उनके प्रशासन ने ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन किया है जो वियतनामी नागरिकों को शैक्षिक आदान–प्रदान, स्वयंसेवी कार्य और सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से विदेशी समकक्षों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग के कार्यकाल में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता को बढ़ावा देने और मानव विकास पहलों का समर्थन करने के प्रयासों की भी पहचान रही है:

कॉमरेड ट्रिंग ने वियतनाम की विदेश नीति के मुख्य घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की वकालत की है। उनके प्रशासन ने मानवीय सहायता, विकास सहायता और आपदा राहत प्रयासों के माध्यम से जरूरतमंद देशों को सहायता प्रदान की है। कॉमरेड ट्रिंग की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के प्रति प्रतिबद्धता आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक सहयोग के महत्व में विश्वास को दर्शाती है। कॉमरेड ट्रिंग ने वियतनाम और उसके बाहर मानव विकास परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पहल का समर्थन किया है। उनके प्रशासन ने वियतनामी नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वियतनाम ने विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों के माध्यम से अपने विकास के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य देशों के साथ साझा किया है। कॉमरेड ट्रिंग ने आलोचनाओं को संबोधित करने और मानवाधिकार मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। उनके प्रशासन ने मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ चर्चा की है, जिसका उद्देश्य घरेलू नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं और मानकों के साथ संतुलित करना है। कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देने के साधन के रूप में पार्टी–टू–पार्टी संबंधों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैः कॉमरेड ट्रिंग ने दुनिया भर में कम्युनिस्ट और समाजवादी दलों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए काम किया है। ये संबंध साझा वैचारिक सिद्धांतों और समाजवादी शासन के लिए आपसी समर्थन पर आधारित हैं। ट्रिंग के नेतृत्व में, वियतनाम ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मंचों की मेजबानी की है जो दुनिया भर से कम्युनिस्ट और समाजवादी दलों को एक साथ लाते हैं। ये कार्यक्रम समाजवादी दलों के बीच संवाद, विचारों के आदान–प्रदान और एकजुटता के लिए मंच के रूप में काम करते हैं, जो वामपंथी राजनीतिक आंदोलनों के वैश्विक नेटवर्क में योगदान करते हैं।

प्रश्न संख्या 4: वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फु ट्रिंग के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं?

उत्तर: महासचिव के रूप में कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग का कार्यकाल वियतनाम के विकास के लिए एक स्पष्ट और रणनीतिक दृष्टि से चिह्नित है। उनकी नेतृत्व शैली वैचारिक प्रतिबद्धता और व्यावहारिक शासन के मिश्रण को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य समाजवादी सिद्धांतों और आधुनिक आर्थिक मांगों के बीच संतुलन हासिल करना है।

कॉमरेड ट्रिंग ने मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धांतों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जो समकालीन चुनौतियों के अनुकूल होने के साथ–साथ सीपीवी की वैचारिक नींव को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कॉमरेड ट्रिंग के नेतृत्व की विशेषता आर्थिक सुधार के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है। उनके मार्गदर्शन में, वियतनाम ने एक 'समाजवादी–उन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था' का अनुसरण किया है, जो बाजार तंत्र को समाजवादी लक्ष्यों के साथ मिलाती है। इस दृष्टिकोण ने वियतनाम के तेज आर्थिक विकास को सुगम बनाया है, जबकि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विकास के लाभ समान रूप से वितरित किए जाएं। बुनियादी ढांचे में सुधार, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने जैसे रणनीतिक आर्थिक सुधारों के लिए कॉमरेड ट्रिंग का समर्थन, एक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है जो समाजवादी आदर्शों के प्रति सच्ची है। ट्रिंग के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका आक्रामक रुख रहा है। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, जिसके कारण उच्च–प्रोफाइल अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और सख्त निगरानी उपायों को लागू किया गया, यह सुनिश्चित करने के लिए उनके समर्पण को दर्शाता है कि सीपीवी जवाबदेह और पारदर्शी बनी रहे। यह अभियान न केवल भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करता है, बल्कि सरकार में जनता का विश्वास बहाल करने का भी प्रयास करता है, जो न्याय और ईमानदारी के सिद्धांतों के प्रति ट्रिंग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग का कार्यकाल वैचारिक प्रतिबद्धता, रणनीतिक दृष्टि और कूटनीतिक कौशल के संयोजन द्वारा चिह्नित किया गया है। वियतनाम की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में उनका योगदान महत्वपूर्ण है।

वियतनाम की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने, वियतनाम की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने, सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने और मानव विकास को आगे बढ़ाने के प्रयासों से उनके नेतृत्व की विशेषता रही है। उनकी विरासत वियतनाम के विकास और वैश्विक उपस्थिति में महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जो तेजी से बदलती दुनिया की मांगों के साथ समाजवादी सिद्धांतों को संतुलित करने की चल रही चुनौतियों से प्रभावित है। जैसे–जैसे वियतनाम विकसित होता रहेगा, कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग के नेतृत्व का प्रभाव आने वाले वर्षों में महसूस किया जाएगा, जो देश के भविष्य को आकार देगा और एक मॉडल प्रदान करेगा कि कैसे समकालीन शासन की मांगों को पूरा करने के लिए समाजवादी आदर्शों को अनुकूलित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय कमेटी वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीवी) के महासचिव कॉमरेड गुयेन फु ट्रोंग के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। कॉमरेड गुयेन फु ट्रोंग की मृत्यु, समाजवादी आंदोलन, प्रगतिशील दुनिया और दुनिया भर में वामपंथी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वियतनाम की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के रूप में ट्रिंग का कार्यकाल वैचारिक दृढ़ता, व्यावहारिक शासन और राष्ट्रीय विकास और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दोनों के लिए एक दृष्टिकोण के मिश्रण की विशेषता थी।

कॉमरेड गुयेन फु ट्रोंग का नेतृत्व आधुनिक युग में समाजवादी आदर्शों की स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण था। उनकी मृत्यु वैश्विक समाजवादी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे समाजवादी शासन के लिए उनके अद्वितीय दृष्टिकोण से आकार और प्रेरणा मिली है। हम कॉमरेड गुयेन फु ट्रोंग की महान यादों पर अपना झंडा और बैनर अर्पित करते हैं। *(समाप्त)*

एआईएफबी बंगाल कमेटी ने 11–12 सितंबर 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मुद्दे पर कोलकाता में दिन–रात धरना आयोजित किया।

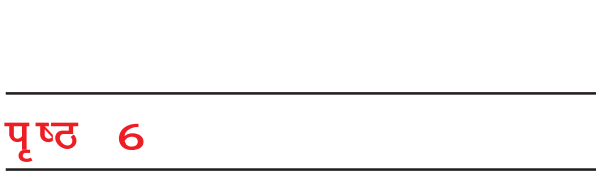

4 सितंबर 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता में हुए बलात्कार और क्रूर हत्या के खिलाफ पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एआईएएमएस, एआईवाईएल और एआईएसबी की विरोध सभा और रैली।

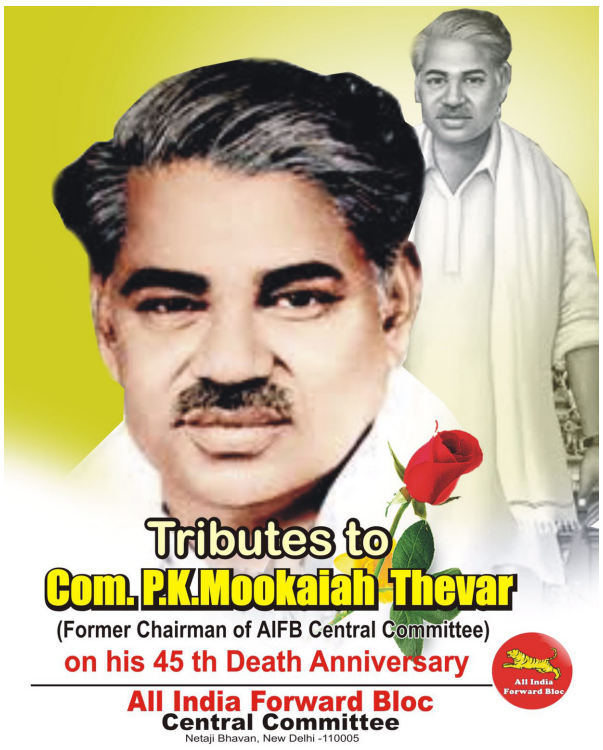

एआईएफबी केरल कमेटी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महंगाई और श्रम अधिकारों के लिए विभिन्न जिलों में विरोध कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

ओडिशा के एआईएफबी नेताओं ने ओडिशा के गंजम जिले में अवैध शराब त्रासदी के पीड़ितों से मुलाकात की।

एआईएफबी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर बिहार के मधुबनी जिले में धरना और रैली का आयोजन किया।

7 सितंबर 2024 को भाजपा शासित राज्यों में गौरक्षकों के नाम पर भीड़ द्वारा की गई हत्याओं के खिलाफ संसद मार्ग पर एआईएफबी दिल्ली इकाई का विरोध प्रदर्शन।

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एआईएफबी का कार्यालय खुला। विभिन्न क्षेत्रों के कई लोग पार्टी में शामिल हुए।

आंध्र प्रदेश के एआईएसबी कार्यकर्ता शिक्षा के व्यावसायीकरण के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गतिविधियों का एक फोटो कोलाज।

तेलंगाना के एआईएसबी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा संस्थानों में बेहतर सुविधाओं के लिए विरोध मार्च का आयोजन किया है।

कालीकट जिले के एआईएफबी राज्य नेता कॉमरेड मोहम्मद शाहल द्वारा मलयालम भाषा में नेताजी, भगत सिंह और चे ग्वेरा के दर्शन पर आधारित "केरल मॉडल" नामक पुस्तक का केरल के प्रसिद्ध लेखक श्री यूके कुमारन द्वारा विमोचन किया गया।

एआईएफबी बंगाल की जनता को सलाम करता है

(एआईएफबी के महासचिव कॉमरेड जी. देवराजन ने 5 सितंबर 2024 को कोलकाता के आर. जी.कर मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार और क्रूर हत्या के खिलाफ बंगाल की जनता के अथक विरोध पर निम्नलिखित बयान जारी किया है)

स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले बंगाली लोग वर्तमान में राज्य में एकजुट होकर यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि न्याय और कानून के शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट है।

कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में हाल ही में हुए बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराध ने पूरे बंगाल में उग्र प्रदर्शनों और विरोधों की लहर पैदा कर दी है। अपनी तीव्रता और एकता से चिन्हित ये प्रदर्शन राजनीतिक संबद्धताओं से परे हैं और हिंसा के जघन्य कृत्यों और अधिकारियों द्वारा जांच को गलत तरीके से संभालने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के खिलाफ सामूहिक रुख को दर्शाते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया ने न केवल उनके लचीलेपन को उजागर किया है, बल्कि राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल भी कायम की है, जो न्याय और जवाबदेही की लड़ाई में नागरिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है। बंगाली लोगों ने विरोध के विभिन्न रूपों के माध्यम से न्याय के लिए अपनी खोज को जोश से व्यक्त किया है। दिन–रात प्रदर्शन, मोमबत्ती जलाना, एक घंटे के लिए रोशनी बंद करके अंधेरे के डर को दबाने वाले प्रतीकात्मक विरोध, किलोमीटरों तक व्यापक मानव श्रृंखला बनाना, सरकार की धमकियों की अवहेलना में सभी क्षेत्रों के लोगों की सक्रिय भागीदारी आदि न्याय की मांग के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति बन गए हैं। अपराध का विवरण बेहद परेशान करने वाला है। पुलिस और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ मारे गए युवा डक्टर के माता–पिता और अन्य रिश्तेदारों द्वारा किए गए खुलासे चौंकाने वाले हैं। एक क्रूर हत्या को आत्महत्या के रूप में चित्रित करने का प्रयास, मृतक के परिजनों से शव को घंटों तक छिपाना, पुलिस द्वारा शव को दफनाने की जल्दबाजी, माता–पिता को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने का प्रयास, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के लिए अपराध स्थल को नष्ट करना, तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी देने के लिए प्रेस कान्फ्रेंस करना, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के धमकी भरे भाषण और बयान, इन सभी ने विरोध को बढ़ाने में योगदान दिया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक न्याय के संघर्ष में उनके अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के लिए बंगाल के लोगों को अपना हार्दिक सलाम देता है। इस जघन्य अपराध के मद्देनजर बंगाल के लोगों द्वारा व्यक्त सामूहिक आक्रोश और दुख असाधारण से कम नहीं है। जैसा कि हम बंगाल के लोगों को सलाम करते हैं, हम न्याय को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता और निरंतर प्रयासों का भी आह्वान करते हैं। न्याय की खोज से व्यक्तियों की सुरक्षा और मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए सार्थक सुधार और मजबूत सुरक्षा उपाय होने चाहिए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बंगाल के लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा है और इस महत्वपूर्ण संघर्ष में उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइये, हम सब मिलकर पीड़ित की स्मृति का सम्मान करें तथा ऐसे समाज की स्थापना करें जहां न्याय हो, हिंसा का उन्मूलन हो, तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए।

20 नवंबर 2024 को महिलाओं का राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाने का निर्णय

ऑल इंडिया अग्रगामी महिला समिति (एआईएएमएस) की केंद्रीय समिति ने 20 नवंबर 2024 को महिलाओं का राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। एआईएएमएस की सभी राज्य इकाइयों और अन्य निचली इकाइयों को राष्ट्रीय विरोध दिवस को सफल बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। राज्य इकाइयों को राज्य मुख्यालयों पर महिलाओं को संगठित करना चाहिए और राज्यपाल और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मांगों का चार्टर और ज्ञापन सौंपना चाहिए। राष्ट्रीय विरोध दिवस की मांगें हैं:

1. महिला आरक्षण अधिनियम को तुरंत लागू करें। सभी निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करें।

2. सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के रोजगारों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करें।

3. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाएं।

4. सभी आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की कीमतों में वृद्धि की जाँच करें। वर्गीकरण के बिना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करें।

5. महिलाओं के नाम पर अतिरिक्त भूमि आवंटित करें।

6. आईसीडीएस, आंगनवाड़ी, आशा और अन्य योजना कार्यकर्ताओं के लिए अधिक बजटीय सहायता आवंटित करें।

7. निजी अस्पतालों में नर्सों और गैर–सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करें। उन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ सुनिश्चित करें।

8. महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अधिनियमों जैसे दहेज विरोधी, उत्पीड़न विरोधी, महिलाओं के खिलाफ सामाजिक और घरेलू हिंसा आदि का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

9. बहादुर महिलाओं/लड़कियों को उनकी बहादुरी भरी गतिविधियों के लिए वार्षिक 'कैप्टन लक्ष्मी पुरस्कार' शुरू करें।

10. महिलाओं के लिए भारतीय सेना में रानी झांसी रेजिमेंट शुरू करें।

त्रिपुरा वाम मोर्चा ने बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

माननीय महोदय, हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद, जिसने लोगों की आजीविका में विनाश और अवर्णनीय दुखों के निशान छोड़े हैं और आगामी शरद महोत्सव, जो राज्य का सबसे बड़ा उत्सव है, पर हम त्रिपुरा वाम मोर्चा समिति की ओर से, निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है।

1. राज्य में हत्या, अप्राकृतिक मौतें, आत्महत्या, अपहरण, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार, महिलाओं से छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, फिरौती की वसूली, चोरी, चोरी आदि जैसे अपराध खतरनाक स्तर पर बढ़ रहे हैं। हाल ही में घटित कुछ अपराधिक घटनाएं निम्नलिखित हैं:

– त्रिपुरा वाम मोर्चा ने बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा 10 अगस्त 2024 को उदयपुर शहर के एक प्रतिष्ठित शिक्षक अभिजीत डे की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार वह अपराधियों द्वारा मांगी गई फिरौती की रकम नहीं दे पाए।

– 11 सितंबर 2024 को बेलोनिया के गबुर्चेरा में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके पति को उसके सामने बांध दिया गया।

– पुलिस बल को किसी भी तरह के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने की अनुमति देना बहुत जरूरी है।

2. हालांकि हमने हाल ही में आई अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति में बचाव और राहत अभियान के बारे में अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन त्रिपुरा वाम मोर्चा समिति सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए घोषित राहत पैकेज से अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए मजबूर है। जिन परिवारों ने अपने सदस्यों, आवास, फसल और घरेलू पशुओं को खो दिया है, उनका घर–घर जाकर अलग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तथा राहत पैकेज को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवारों को पुनर्वासित किया जा सके, ताकि उनकी आजीविका के लिए नियमित आय का साधन सुनिश्चित हो सके।

– बाढ़ पीड़ितों को तब तक अपने घर वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जब तक कि वे अपने आवास का पुनर्निर्माण न कर लें और नियमित आय का प्रबंध करने में सक्षम न हो जाएं। बाढ़ पीड़ितों को उनके घरों के पुनर्निर्माण, कृषि क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने, कृषि गतिविधियों को फिर से शुरू करने, जलाशयों की बहाली, फिंगरलिंग गतिविधियों, जलाशयों की बहाली, फिंगरलिंग की निःशुल्क आपूर्ति, मनरेगा के तहत पर्याप्त संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने और सबसे बढ़कर, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, बाढ़ पीड़ितों को राजनीतिक कारणों से राहत पैकेज के वितरण में भेदभाव का सामना न करना पड़े।

3. 12 जुलाई को गंदाचारा में योजनाबद्ध हिंसा और लूटपाट और 25 अगस्त को कैटाराबाड़ी, जिरानिया में अशांति के कारण पीड़ितों को वर्तमान आश्रय को खाली करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे अपने आवास का पुनर्निर्माण न कर लें और भयमुक्त सुरक्षित वातावरण में नियमित आजीविका का प्रबंध न कर लें। उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करना बहुत जरूरी है ताकि वे अपने घरों में रहकर अपना सामान्य जीवन जी सकें। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ सुरक्षा शिविर प्रदान करना भी बहुत जरूरी है।

4. अंत में, हम यह कहना चाहेंगे कि, आप इस बात से असहमत नहीं होंगे कि, कुछ ताकतें हैं जो राज्य को सांप्रदायिक जातीय आधार पर अशांत स्थिति में बदलने के लिए बहुत सक्रिय हैं, जैसा कि जिरानिया उप–विभाग के तहत गंदाचारा और कैटाराबारी में हुआ था। इसलिए, हम दृढ़ता से आग्रह करते हैं कि सरकार को शांति और सौहार्द को मजबूत करने के लिए आम लोगों को शामिल करते हुए सकारात्मक पहल करनी चाहिए। साथ ही, शांति और सौहार्द को भंग करने वाले किसी भी कदम को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं और बिना देरी किए राज्य के कमजोर बिंदुओं पर सुरक्षा चौकियों को बढ़ाएं। सादर, (पत्र पर नारायण कर (संयोजक त्रिपुरा वाम मोर्चा समिति), जितेंद्र चौधरी (सीपीआई–एम), जुधिष्ठिर दास (सीपीआई), दीपक देब (आरएसपी) और परेश सरकार (एआईएफबी) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे)।

RNI No.43038/1985 Postal Reg. No.: DL(C)-14/1434/2024-26 Total Page 8 Posted at : SPM, SRT Nagar PO, New Delhi-110055
Hindi Monthly Published on 25-9-2024 Posting Date: 28 & 29 of the Same Month

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर मंत्री को पत्र लिखा

प्रिय महोदय,

नए लॉन्च किए गए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजनाओं पर प्रतिक्रिया के लिए आपके अनुरोध के जवाब में, हम, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच का प्रतिनिधित्व करते हुए, अपनी व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। हमारी प्रतिक्रिया हमारे सदस्यों की सामूहिक चिंताओं और दृष्टिकोणों को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईएलआई योजनाएँ समावेशी और टिकाऊ रोजगार सृजन के अपने इच्छित लक्ष्यों को पूरा करें। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह हमारे प्रस्तुतीकरण में उल्लिखित मुद्दों को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए और इन महत्वपूर्ण मामलों पर रचनात्मक जुड़ाव की आशा करते हैं।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना केवल एक विकल्प नहीं है – यह एक अनिवार्यता है। सरकारी खजाने से खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए, हमें वास्तविक, टिकाऊ रोजगार में वापसी की मांग करनी चाहिए, न कि केवल सब्सिडी वाले कॉर्पोरेट लाभ की। आइए हम सुनिश्चित करें कि हमारी नीतियाँ लोगों की सेवा करें, न कि केवल लाभ मार्जिन की।

सबसे पहले, हमें स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने पहले ही नियोक्ताओं के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं, जिनमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, पूंजी निवेश व्यय प्रोत्साहन (कैपेक्स प्रोत्साहन) और दो रोजगार और कौशल–जुड़े कर प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं: प्रशिक्षण–कर प्रोत्साहन और रोजगार–कर प्रोत्साहन। हालाँकि, ये सभी योजनाएँ, जैसा कि कई आकलनों से पता चलता है, इच्छित परिणाम देने में विफल रही हैं, विशेष रूप से हमारे देश में व्यापक बेरोजगारी और अनिश्चित बेरोजगारी के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में। उनके कार्यान्वयन के बावजूद, यहाँ तक कि सबसे हालिया आर्थिक सर्वेक्षण भी स्वीकार करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्यबल की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए गैर–कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन लगभग 7.85 मिलियन नौकरियों का सृजन करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से शुद्ध रोजगार सृजन में लगातार कमी को उजागर करता है। इसके अलावा, भारत की विनिर्माण उत्पादकता 2022–23 में साल–दर–साल 2.38 प्रतिशत घट गई, जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में इन योजनाओं की अप्रभावीता को रेखांकित करती है। केंद्रीय बजट 2023–24 ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना नामक एक और प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसमें पांच साल की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस पैकेज में कथित तौर पर कौशल विकास के उद्देश्य से इंटर्नशिप कार्यक्रमों के लिए 63,000 करोड़ रुपये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अपग्रेड करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये और विनिर्माण उद्योग पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। इस योजना में 4.1 करोड़ श्रमिकों को कवर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये आवंटन आशाजनक लग सकते हैं, हम सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि यह योजना पिछले प्रयासों के रास्ते पर न चले जो बेरोजगारी और अल्परोजगार के बुनियादी मुद्दों को हल करने में विफल रहे।

योजना ए के तहत, यदि कोई नियोक्ता किसी नए कर्मचारी की भर्ती करता है या ईपीएफओ में पहले से असूचीबद्ध किसी कर्मचारी को पंजीकृत करता है, तो सरकार उस कर्मचारी के एक महीने के वेतन में सब्सिडी देगी, बशर्ते उनका मासिक वेतन 1 लाख से कम हो, जिसकी सीमा 15,000 प्रति माह है, जो तीन किस्तों में वितरित की जाएगी। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि सरकार नियोक्ता के वार्षिक वेतन दायित्व का बारहवां हिस्सा सीधे वहन करेगी। हालांकि यह सभी क्षेत्रों में लागू होता है, हम सरकार से सावधानीपूर्वक आकलन करने का आग्रह करते हैं कि क्या इस तरह की सीमित सब्सिडी दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि में सार्थक रूप से योगदान देगी या श्रम बाजार में गहरे संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित किए बिना नियोक्ताओं को केवल अल्पकालिक राहत प्रदान करेगी। योजना बी के तहत, विनिर्माण नियोक्ता जो कम से कम 50 नए गैर–ईपीएफओ श्रमिकों या पिछले वर्ष के ईपीएफओ–कवर कर्मचारियों के 25 प्रतिशत को नियुक्त करते हैं इस योजना में, सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के ईपीएफओ अंशदान का भुगतान करेगी, जो पहले दो वर्षों के लिए वेतन का 24 प्रतिशत होगा और फिर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। निजी नियोक्ताओं को यह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सार्वजनिक निधियों से ली जाती है। यह 1 लाख प्रति माह तक के वेतन वाले कर्मचारियों पर लागू होता है, लेकिन देय प्रोत्साहन 25,000 प्रति माह के वेतन पर सीमित है। जबकि यह योजना स्कीम ए के अतिरिक्त प्रस्तुत की गई है, हम सरकार से यह मूल्यांकन करने का आग्रह करते हैं कि क्या ऐसे उपाय वास्तव में स्थायी रोजगार वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे या मुख्य रूप से जनता के खर्च पर नियोक्ताओं को लाभान्वित करेंगे। यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग उन तरीकों से किया जाए जो दीर्घकालिक रोजगार सृजन और समान आर्थिक विकास की ओर ले जाएं। स्कीम सी के तहत, 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां जो कम से कम 2 नए श्रमिकों की भर्ती करती हैं, और 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां जो कम से कम 5 नए श्रमिकों की भर्ती करती हैं, उन्हें 3 साल की अवधि के लिए प्रति माह 3,000 तक के ईपीएफओ नियोक्ता योगदान के लिए सब्सिडी मिलेगी। यह योजना सभी क्षेत्रों पर लागू होती है और प्लान ए के अतिरिक्त है, हालांकि इसमें प्लान बी के तहत कवर किए गए कर्मचारी शामिल नहीं हैं। ऐसा करने से, सरकार प्रभावी रूप से सार्वजनिक धन का उपयोग करके निजी नियोक्ताओं के वार्षिक वेतन घटक के 32.33 प्रतिशत – लगभग एक–तिहाई – तक सब्सिडी देने की योजना बना रही है।

जबकि इस पहल का उद्देश्य भर्ती को प्रोत्साहित करना है, हम सरकार से सावधानीपूर्वक विचार करने का आग्रह करते हैं कि क्या सरकारी खजाने से इस तरह की व्यापक सब्सिडी वास्तव में नौकरी सृजन और कार्यबल विकास की मुख्य चुनौतियों का समाधान करती है।

नीति का अंतिम घटक इंटर्नशिप कार्यक्रम से संबंधित है, जो प्रभावी रूप से शीर्ष 500 सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों को प्रशिक्षुओं के अलावा प्रशिक्षुओं का उपयोग करके अपने उत्पादन और सेवाओं को संचालित करने की अनुमति देता है। इस नीति के तहत, सरकार 5,000 के मासिक वजीफे की लागत वहन करेगी और प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए 6,000 की एकमुश्त सहायता प्रदान करेगी, जबकि कंपनियां अपने सीएसआर फंड के माध्यम से शेष प्रशिक्षण लागतों को कवर कर सकती हैं। यह कार्यक्रम अनिवार्य रूप से स्किल इंडिया मिशन के तहत एनईईएम, एनईटीएपी, एसआईटीए और एनएपीएस जैसी मौजूदा प्रशिक्षु योजनाओं का विस्तार है। उल्लेखनीय रूप से, इस नीति के तहत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा। हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि इस दृष्टिकोण से बड़े निगमों को इंटर्नशिप की आड़ में सस्ते श्रम का शोषण करने की अनुमति मिलती है, बिना इन प्रशिक्षुओं के लिए उचित व्यवहार, नौकरी की सुरक्षा या दीर्घकालिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए ऐसा होगा। हम सरकार से इस नीति के निहितार्थों पर पुनर्विचार करने और राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह करते हैं। इस आधार पर, हम इस विशिष्ट योजना के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियाँ और सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं: (ए) यह योजना मूल रूप से निजी नियोक्ताओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, जो कुछ वैधानिक वेतन घटकों को सब्सिडी देने के लिए सरकारी खजाने से धन प्राप्त करता है। यह श्रमिकों या कर्मचारियों को कोई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान नहीं करता है।

(अगले अंक में जारी...)

जन गर्जन हिन्दी मासिक ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक की केन्द्रीय समिति के लिए देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद सदस्य द्वारा टी–2235/2, अशोक नगर, फैज रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 से मुद्रित तथा प्रकाशित। दूरभाष : 28754273
संपादक : देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद
मुद्रण स्थल : कुमार ओफसेट प्रिंटर्स, 381, पटपड़ गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110092 वेबसाईट: www.forwardbloc.org
ईमेल:biswasd.aifb@yahoo.co.in
कम्प्यूटर कम्पोजिंग : प्रकाशन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक, नेताजी भवन, नई दिल्ली

जन गर्जन
नेताजी भवन,
टी–2235/2, अशोक नगर, फैज रोड़,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005
दूरभाष: 011–28754273

जन गर्जन
ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक का हिन्दी मासिक

सेवा में,